विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के लेखापरीक्षित लेखाओं पर आधारित यह प्रतिवेदन सरकार के वार्षिक लेखाओं का विश्लेषणात्मक पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है। प्रतिवेदन की संरचना तीन अध्यायों में की गई है।

अध्याय 1 वित्त लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्तों का विस्तृत परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है। यह गत पांच वर्षों के दौरान कुल प्रवृतियों को ध्यान में रखते हुए पूर्व वर्ष के मुख्य राजकोषीय योग संबंधी विवेचनात्मक परिवर्तनों का भी विश्लेषण करता है।

अध्याय 2 विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है और यह विनियोगों का अनुदानवार विवरण तथा सेवा प्रदान करने वाले विभागों द्वारा किस प्रकार आवंटित संसाधनों का प्रबंधन किया गया था, दर्शाता है।

अध्याय 3 रा.रा.क्षे.दि.स. की विभिन्न वित्तीय नियमावली, कार्यविधियों तथा निर्देशों की अनुपालना का विहंगावलोकन तथा स्थिति है।

लेखापरीक्षा प्राप्तियां

अध्याय 1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त

राजस्व प्राप्तियां पिछले वर्ष से ₹ 5,414.26 करोड़ (18.30 *प्रतिशत*) से बढ़ गई। पिछले वर्ष की तुलना मे कर राजस्व ₹ 3,621.26 करोड़ (13.61 *प्रतिशत*) से बढ़ गये। जबकि गैर-राजस्व ₹ 117.14 करोड़ (18.52 *प्रतिशत*) से घट गया तथा भारत सरकार से अनुदान ₹ 1,910.15 करोड़ (81.35 *प्रतिशत*) से बढ़ गये। 2015-16 में राज्य के अपने कर राजस्व का अंश कुल राजस्व प्राप्तियों का 86.36 *प्रतिशत* था।

(पैरा 1.2)

चालू वर्ष के दौरान ₹ 26,342.55 करोड़ का राजस्व व्यय पिछले वर्ष के व्यय से ₹ 2,833.06 करोड़ (12.05 *प्रतिशत*) से बढ़ गया है। 2015-16 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय (ऋण तथा अग्रिम को छोड़कर) का 84.80 *प्रतिशत* था।

(पैरा 1.2 तथा 1.6)

पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष से ₹ 319.53 करोड़ बढ़ गया। वर्ष 2015-16 के दौरान पूंजीगत व्यय कुल व्यय (ऋणों तथा अग्रिमों को छोड़कर) का केवल 15.20 *प्रतिशत* था।

(पैरा 1.2 तथा 1.6)

सरकार ने 31 मार्च 2016 तक ₹ 18,492.15 करोड़ सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों तथा कॉपरेटिवों में निवेश किया हुआ था। इन निवेशों पर लाभ 0.07 *प्रतिशत* था जबकि 2015-16 के दौरान सरकार द्वारा अपनी उधारियों पर भुगतान किए गए ब्याज का औसत 8.54 *प्रतिशत* था।

(पैरा 1.8.1)

रा.रा.क्षे.दि.स. की संपूर्ण राजकोषीय देयतायें 2011-12 के ₹ 29,608.29 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹ 33,303.87 करोड़ (12.48 *प्रतिशत*) हो गई। 2015-16 के अंत में राजकोषीय देयतायें राजस्व प्राप्तियों का 0.95 गुणा तथा रा.रा.क्षे. के अपने संसाधनों का 1.08 गुणा थी।

(पैरा 1.9.2)

मुख्य राजकोषीय पैरामीटरों के संदर्भ में राजकोषीय स्थिति दर्शाती है कि वर्ष 2015-16 के दौरान राजस्व आधिक्य पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 2,581.20 करोड़ बढ़ गया था। 2014-15 में ₹ 218.83 करोड़ के राजकोषीय आधिक्य 2015-16 में बढ़कर ₹ 1,331.92 करोड़ हो गया था। 2014-15 में ₹ 2,992.83 करोड़ का प्राथमिक आधिक्य 2015-16 में बढ़कर ₹ 4,141.73 करोड़ हो गया था।

(पैरा 1.11.1)

अध्याय 2 वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

2015-16 के दौरान, ₹ 42,809.39 करोड़ के कुल अनुदान एवं विनियोजनों में से ₹ 35,434.86 करोड़ का व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7,374.53 करोड़ की बचत हुई। ₹ 7,374.53 करोड़ की कुल बचत में से राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत 13 अनुदानों एवं एक विनियोजन (लोक ऋण) में ₹ 4,496.92 करोड़ की बचत और पूंजीगत क्षेत्र के अंतर्गत ₹ 2,877.61 करोड़ की बचत हुई।

(पैरा 2.2)

2006-07 से 2014-15 के अनुदानों के संबंध में ₹ 83.50 करोड़ के अधिक व्यय के अतिरिक्त वर्ष 2015-16 के लिए दो अनुदानों में ₹ 2.22 करोड़ के अधिक व्यय को संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत नियमित किए जाने की आवश्यकता थी।

(पैरा 2.3.1 तथा 2.3.2)

वर्ष 2015-16 के विनियोजन लेखे दिखाते है कि सात अनुदानों से संबंधित 30 मामलों में से प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक की बचतें हुई, जिनका कुल योग ₹ 1,504.36 करोड़ था।

(पैरा 2.3.4)

एक उपशीर्ष में ₹ 278.39 करोड़ की राशि के पूरक अनुदान उच्च/अतिरिक्त व्यय के पूर्वानुमान में प्राप्त किए गए थे। यद्यपि, अंतिम व्यय अब भी मूल अनुदान से कम था।

(पैरा 2.3.7)

10 अनुदानों (प्रत्येक अनुदान/विनियोग में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक की बचतें) के अंतर्गत ₹ 5,176.08 करोड़ की बचतों में से ₹ 2,222.26 करोड़ (बचतों की राशि का 42.93 *प्रतिशत*) अभ्यर्पित नहीं किया गया था।

(पैरा 2.3.10)

2013-14 से 2015-16 के दौरान अनुदान सं. 6-शिक्षा- के अंतर्गत 13 मामलों/उप-शीर्षों में ₹ एक करोड़ से अधिक की स्थायी बचतें थी। 2013-14 से 2015-16 की अवधि के दौरान ₹ 2,684.57 करोड़ की बचतों में से ₹ 924.20 करोड़ तक की राशि (बचतों का 34.43 *प्रतिशत*) मार्च 2016 तक अभ्यर्पित नहीं की गई थी। इस अनुदान के अंतर्गत 36 उप-शीर्षों में संपूर्ण प्रावधान विभाग द्वारा अप्रयुक्त पड़ीं रही।

(पैरा 2.5)

अध्याय 3 वित्तीय रिपोर्टिंग

विभिन्न अनुदानित संस्थाओं को जारी अनुदानों हेतु उपयोगिता प्रमाणपत्रों (उ.प्र.) को प्राप्त करने में विलंब था। मार्च 2015 तक दिए गए ₹ 24,242.35 करोड़ की राशि के कुल 4,287 अनुदानों में से, मार्च 2016 के अंत तक ₹ 18,908.72 करोड़ के 3,821 उ.प्र. विभिन्न विभागों से प्रतीक्षित थे। बकाया 3,821 उ.प्र. में से ₹ 14,230.71 करोड़ के 2,571 उ.प्र. (67.29 *प्रतिशत*) दो से 10 वर्ष से बकाया थे, जबकि ₹ 4,678.01 करोड़ के 1,250 उ.प्र. (32.71 *प्रतिशत*) 10 वर्ष से अधिक समय से बकाया थे।

(पैरा 3.1)

वर्ष 2014-15 तक पांच स्वायत निकायों/प्राधिकरणों के 10 वार्षिक लेखे लेखापरीक्षा हेतु 31 मार्च 2016 तक प्रस्तुत नहीं किये गये।

(पैरा 3.2)

31 मार्च 2016 तक ₹ 207.80 करोड़ की बड़ी राशि उचंत शीर्ष के अंतर्गत बकाया थी जिनका समाशोधन तथा वर्गीकरण लेखों के उचित शीर्षों के अंतर्गत किए जाने की आवश्यकता थी।

(पैरा 3.6)